राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line)

क्रमांकः रालसा/2015/ 5 दिनांक :– 17/02/2015

परिपत्र

विषयः– पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 के प्रभावी कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध से पीडित व्यक्ति व उसके आश्रितों को यथोचित राहत दिलाने हेतु दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 357 में वर्ष 2009 में संशोधन हो चुका है। वर्ष 2011 में राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम प्रभाव में आ चुकी है। इस प्राधिकरण से भी दिशा निर्देश दिनांक 25.07.2012 जारी हो चुके है फिर भी इसकी जानकारी एवं आवश्यक कानूनी सलाह व सहायता के अभाव में इसका प्रभावी कियान्वयन नहीं हो पा रहा है

प्रतिकर स्कीम में अपराध से पीडित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने का प्रमुख दायित्व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों पर है अतः इस कानूनी दायित्व के निर्वहन हेतु माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस स्कीम के प्रभावी कियान्वयन हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं –

पीडित प्रतिकर स्कीम एवं प्रतिकर की अन्य योजनाओं का सघन प्रचार प्रसार

सभी अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीडित प्रतिकर स्कीम के सघन प्रचार प्रसार का समयबद्ध कार्यक्रम तैंयार करेंगे। सभी थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर एवं न्यायालय परिसरों में लगे विधिक सहायता कार्यक्रम के बोर्डों पर इस स्कीम की जानकारी देंगे। जगह–जगह पोस्टर, बैनर लगाऐंगे। पैम्फलैट के रूप में प्रचार सामग्री वितरित करेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र दिनांक 02.07.2012 द्वारा गठित विधिक जागरूकता टीम को विभिन्न जनउपयोगी विषयो के साथ साथ इस योजना एवं प्रतिकर सम्बन्धी अन्य योजनाओं का जन – जन में प्रचार प्रसार करने हेतु विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करने के निर्देश देंगे। उन्हे प्रचार सामग्री उपलब्ध कराऐंगे। विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करने का विश्वसनीय सबूत प्राप्त कर उक्त पत्र में निर्धारित मानदेय का भुगतान करेंगे।

अंतरिम प्रतिकर

- प्रतिकर स्कीम में थाना प्रभारी या मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर निशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सा लाभ या समुचित अंतरिम राहत प्रदान करने के स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं फिर भी वांछित प्रमाण पत्र के अभाव में अंतरिम राहत प्रदान करने का प्रतिशत नगण्य है। प्रतिकर स्कीम में वांछित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पीडित व्यक्ति के आवेदन की आवश्यकता नहीं है बल्कि बिना किसी आवेदन के उचित मामलों में वांछित प्रमाण पत्र जारी करने का दायित्व थाना प्रभारी या मजिस्ट्रेट पर है जिसकी पालना में थाना प्रभारी एवं मजिस्ट्रेट सभी आपराधिक मामलों में वांछित प्रमाण पत्र जारी करने के प्रश्न पर आवश्यक रूप से विचार करेंगे। उचित मामलों में अविलम्ब सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को वांछित प्रमाण पत्र भेजेंगे या नहीं भेजने के कारणों का उल्लेख करेंगे।

- अंतरिम राहत दिलाने के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के प्रारूप संलग्न किये जा रहे हैं जिनका आवश्यक परिवर्तन/संशोधन के साथ उपयोग किया जा सकता है।

- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस थानों में पैरा लीगल वालेन्टियर नियुक्त हैं जो सम्बंधित थानाधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे कि पुलिस थाने में दर्ज आपराधिक प्रकरणों में पीडित व्यक्ति को अतरिम राहत दिलाने हेतु वांछित प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं? यदि वांछित प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है तो पैरा लीगल वालेन्टियर सम्बंधित पीडित व्यक्ति से सम्पर्क करेगा या आसानी ने व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं होने पर उसे पत्र द्वारा पीडित प्रतिकर स्कीम की जानकारी देते हुये सलाह देगा कि यदि वह अंतरिम प्रतिकर प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो सम्बंधित थाना प्रभारी के समक्ष वांछित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन करे या पूर्व में चालान पेश हो जाने की दशा में भी अपराध घटित होने के एक साल के अन्दर थाना प्रभारी या सम्बंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष वांछित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन करे।

- प्रत्येक पुलिस थाने में नियुक्त पैरा लीगल वोलेन्टीयर भी यह सुनिश्चित करेगा कि बाल बन्धुआ मजदुर या बन्धुआ मजदूर को मुक्त करने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज होने के पश्चात पीडित व मुक्त कराये गये बाल बन्धुआ मजदूर या बन्धुआ मजदूर को देय एक लाख रूपये की राशि की अदायगी के कम में राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 के अनुच्छेद 5 (7) में थाना प्रभारी द्वारा वांछित प्रमाण पत्र अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित कर दिया गया है। यदि थाना प्रभारी ने ऐसा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है एवं चालान पेश हो गया है तो संबन्धित रिटेनर/पैनल अधिवक्ता सबन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट से अतरिम प्रतिकर हेतु वांछित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन पेश करेंगे।

- मृत्यु, शारीरिक क्षति एवं सम्पत्ति की क्षति के मामलों में पीडित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रों के प्रारूप इस परिपत्र के साथ संलग्न किये गये हैं जो पैरा लीगल वालेन्टियर द्वारा पीडित व्यक्ति को उपलब्ध कराये जाऐंगे जिनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन कर उनका उपयोग किया जा सकेगा।
- आवेदन पत्र के प्रारूप में वांछित दस्तावेज/शपथपत्र का उल्लेख किया गया है। शपथपत्र का प्रारूप भी संलग्न किया गया है। दस्तावेज/शपथपत्र आवेदन पत्र के साथ पीडित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जाने हैं।
- पैरा लीगल वॉलेन्टियर यह सुनिश्चित करेगा कि सम्बंधित थाने मे दर्ज सभी आपराधिक प्रकरणों में पीडित व्यक्तियों को आवेदन प्रस्तुत करने की पूरी जानकारी दे दी गई है।
- पैरा लीगल वालेन्टियर की सलाह पर प्रस्तुत किये गये आवेदनपत्रों की संख्या व इस कार्य में लगने वाले समय का आंकलन सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ताल्लुका विधिक सेवा समिति द्वारा किया जावेगा और उसके अनुरूप पैरा लीगल वालेन्टियर को प्रतिदिन के लिए निर्धारित दर से मानदेय का भुगतान किया जावेगा।
- पीडित व्यक्ति द्वारा अंतरिम प्रतिकर हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर सम्बंधित थाना प्रभारी द्वारा आवेदन में दर्ज तथ्यों का सत्यापन किया जावेगा और सत्यापन के उपरांत द0प्र0सं0 की धारा 357 –क (6) एवं राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम के अनुच्छेद 5 (7) के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र अपनी अनुशंसा सहित सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित किया जावेगा।
- प्रतिकर स्कीम में अपराध से पीडित पात्र व्यक्ति को त्वरित राहत पहुँचाना सभी का कानूनी दायित्व है। देरी होने पर ऐसी राहत का अर्थ व महत्व समाप्त होता जाता है, अतः सम्बंधित थाना प्रभारी द्वारा वांछित प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक देरी नहीं की जावेगी बल्कि आवेदन प्राप्त होने के सात दिन के अन्दर वांछित प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा या पीडित द्वारा प्रस्तुत आवेदन को सकारण आदेश लिखते हुये खारिज किया जावेगा। दोनों ही स्थितियों में पीडित को सूचित किया जावेगा।
- प्रतिकर स्कीम के तहत अनुसंधान के दौरान थाना प्रभारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं करने या उसके समक्ष आवेदन नहीं कर पाने या थाना प्रभारी द्वारा आवेदन खारिज किये जाने के आदेश से व्यथित होने पर पीडित व्यक्ति द्वारा सम्बंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतरिम प्रतिकर हेतु उपरोक्तानुसार आवेदन किया जा सकेगा।
- नव नियुक्त रिटेनर अधिवक्तागण या उनके नहीं होने पर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुक विधिक सेवा समिति के निर्देश पर पैनल अधिवक्ता सम्बंधित फौजदारी न्यायालयों में दायर हुये आपराधिक प्रकरणों की पत्रावलियों का न्यायालय से अनुमति लेकर अवलोकन करेंगे। यदि पीडित व्यक्ति को

अंतरिम प्रतिकर दिलाने हेतु थाना प्रभारी द्वारा वांछित प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है या पीडित व्यक्ति ने अनुसंधान की स्टेज पर आवेदन नहीं किया है तो वह न्यायालय से वांछित प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करेगा जिस पर सफलता नहीं मिलने की दशा में पीडित व्यक्ति को प्रतिकर हेतु आवेदन पेश करने की सलाह देते हुये पत्र प्रेषित करेगा।

- रिटेनर अधिवक्ता/पैनल अधिवक्ता की सलाह पर या अन्यथा अपराध से पीडित व्यक्ति द्वारा अंतरिम प्रतिकर हेतु आवेदन करने पर सम्बंधित मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन के तथ्यों का सत्यापन किया जावेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र व दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में सम्बंधित थाना प्रभारी से यथाशीघ्र सत्यापन कराया जा सकेगा। यदि आवश्यक सत्यापन के उपरांत पीडित व्यक्ति प्रतिकर स्कीम के तहत अंतरिम प्रतिकर प्राप्त करने का पात्र पाया जावे तो धारा 357 –क (6) द0प्र0सं0 एवं राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम के अनुच्छेद 5 (7) के प्रावधानों के अनुसार सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को वांछित प्रमाण पत्र अपनी अनुशंसा सहित प्रेषित करेगा अन्यथा पीडित के आवेदन को सकारण आदेश पारित करते हुये खारिज करेगा। दोनों ही स्थितियों में यथाशीघ्र पीडित को सूचित किया जावेगा।
- थाना प्रभारी या मजिस्ट्रेट से उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी बैठक या अधिकतम दो माह में, जो भी पहले हो, अंतरिम प्रतिकर प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा और प्रतिकर स्कीम के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेकर निशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, चिकित्सक लाभ या समुचित अंतरिम राहत के आदेश पारित किये जायेगें।

अंतिम प्रतिकर

धारा 357A दण्ड प्रकिया संहिता एवं राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम में पीडित व्यक्ति को विचारण पूर्ण होने पर या अभियुक्त का पता नही लगने के कारण विचारण नही होने पर प्रतिकर प्रदान करने के स्पष्ट प्रावधान होने पर भी पूरे प्रदेश मे वर्ष 2014 में मात्र 397 मामलों में ही प्रतिकर राशि स्वीकृत हुई है अर्थात इस योजना का प्रभावी कियान्वयन नहीं हो पा रहा है, अतः इस योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी :–

- धारा 357 क (3) द0प्र0सं0 के तहत पीडित व्यक्ति को प्रतिकर दिलाने हेतु अनुशंसा (Recommandation) करने के लिये पीडित व्यक्ति को विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि बिना आवेदन के ही विचारण न्यायालय का दायित्व है कि वह प्रतिकर की अनुशंषा के प्रश्न पर विचार करे अतः प्रत्येक विचारण न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में विचारण पूर्ण होने पर पीडित व्यक्ति को प्रतिकर दिलाने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा और उचित मामलों में सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रतिकर दिलाने हेतु वांछित अनुशंसा की जावेगी।

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ताल्लुका विधिक सेवा समिति द्वारा नव नियुक्त रिटेनर अधिवक्तागण या उनके नही होने पर पेनल अधिवक्तागण को निर्देशित किया जावेगा कि वे सम्बंधित विचारण न्यायालय में उन अपराधिक प्रकरणों की पत्रावलियों का अवलोकन करें जिनमें अभियोजन साक्ष्य पूरी हो चुकी है या पूरी होने जा रही है और उनमें सम्बंधित पीडित व्यक्तियों को प्रतिकर प्रावधानों की जानकारी के साथ प्रतिकर की अनुशंसा हेतु न्यायालय में आवेदन करने की सलाह देते हुये पत्र प्रेषित करेंगे।

- सभी विचारण न्यायालय, आपराधिक प्रकरणों में विचारण पूर्ण होने पर स्वयमेव या पीड़ित व्यक्ति की ओर से आवेदन प्रस्तुत होने पर प्रतिकर स्कीम के प्रावधानों की रोशनी में धारा 357 (क) दण्ड प्रकिया संहिता के तहत प्रतिकर की अनुशंसा करने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करेगा और प्रत्येक मामले में पारित होने वाले निर्णय में या तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रतिकर देने की अनुशंसा करेंगे अन्यथा ऐसा नहीं करने के कारणों का उल्लेख करेंगे।

- धारा 357 क (4) दण्ड प्रकिया संहिता के अनुसार ऐसे आपराधिक मामलों में जहॉ अपराधी का पता नही चलता है या उसकी पहचान नही हो पाती है और इस वजह से कोई विचारण नही होता है लेकिन पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो जाती है, तो पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा प्रतिकर हेतु संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जा सकता है लेकिन इस प्रावधान की जानकारी नही होने के कारण इसका भी उपयोग नही हो पा रहा है अतः जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा रिटेनर अधिवक्तागण या पैनल अधिवक्ता को निर्देशित किया जायेगा कि संबंधित आपराधिक विचारण न्यायालय में अदम पता मुलजिम में एफ.आर. पेश होने पर या अभियुक्त के फरार हो जाने पर पेश हुये चालान के उचित मामलों में पीड़ित या उसके आश्रितों को प्रतिकर हेतु आवेदन पेश करने की लिखित सलाह आवेदन के प्रारूप के साथ भेजेगें।

- बाल बन्धुआ मजदुर या बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने के क्रम में दर्ज आपराधिक प्रकरण में विचारण पूर्ण होने पर बंधुआ मजदूरों के पुर्नवास हेतु इस स्कीम में देय 1,00,000/–रूपये की प्रतिकर राशि की अनुशंषा के प्रश्न पर विचारण न्यायालय विचार करेगा। साथ ही रिटेनर/पैनल लॉयर भी अन्य प्रकरणों की भॉति बाल बन्धुआ मजदुर या बन्धुआ मजदूरों को प्रतिकर दिलाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

- रिटेनर लॉयर/पेनल अधिवक्ता द्वारा भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप संलग्न किया गया है जिसका उपयोग आवश्यक परिवर्तन/संशोधन के साथ किया जा सकता है।

- रिटेनर अधिवक्ता/पेनल अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त पत्र भेजने में स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ताल्लुका विधिक सेवा समिति का लिपिक मदद करेगा और पीडित व्यक्ति को कार्यालय के माध्यम से डाक द्वारा पत्र प्रेषित किया जावेगा।

- पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अनुच्छेद 5 के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा धारा 357 क (3) के अधीन न्यायालय की अनुशंषा प्राप्त होने पर या धारा 357 (4) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा प्रतिकर हेतु आवेदन किये जाने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मामले की जॉच की जायेगी जिसमें आवेदन की अन्तर्वस्तु का सत्यापन किया जायेगा। आवश्यक होने पर अतिरिक्त सुसंगत जानकारी प्राप्त की जा सकेगी और अधिकतम दो माह के अन्दर प्रतिकर प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा जिसमें या तो प्रतिकर अदा किया जायेगा या प्रकरण खारिज करने का सकारण आदेश पारित किया जायेगा।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर की मंजूरी के क्रम में प्रतिकर स्कीम में दिये गये पात्रता, प्रक्रिया एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों का पालन किया जायेगा।
- पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रभावी कियान्वयन का कानूनी दायित्व इस प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का है अतः सभी अध्यक्षगण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने न्यायक्षेत्र में उपरोक्त दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के क्रम में सभी स्तरों पर की जाने वाली कार्यवाही की सतत समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र पीडित व्यक्ति उचित प्रतिकर से वंचित नहीं रहे।

नोटः– उपरोक्त दिशा निर्देश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 क एवं उसके अधीन बनाई गई राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के अध्यधीन जारी किये जा रहे हैं।

27/7/15

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव,

राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत अपराध में सम्पत्ति को हुई क्षति के संबंध में अंतरिम प्रतिकर दिलाने हेतु थानाधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप :–

प्रेषक :–
थानाधिकारी,
पुलिस थाना
.....

या

न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय .....

प्रेषिति
श्रीमान अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
.....

विषय :– धारा 357 (ए) (6) दण्ड प्रक्रिया सहिता एवं अनुच्छेद 5 (7) राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 के अन्तर्गत अंतरिम प्रतिकर हेतु प्रमाण पत्र

महोदय,

निवेदन है कि प्रस्तुत शपथपत्र एवं दस्तावेजों से व अन्यथा प्रमाणित किया जाता है कि पुलिस थाना ..... के अभियोग (एफ.आई.आर) सं0 ..... में श्री/श्रीमति ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... जाति ..... निवासी ..... को सम्पत्ति की क्षति हुई है। सम्पत्ति की क्षति होने की वजह से उसकी पारिवारिक आय को क्षति पहुंची है। उसकी पारिवारिक स्थिति एवं कुल हालात में उसे त्वरित आर्थिक मदद दिया जाना उचित है। पीडित को केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य सस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन हानि या क्षति के लिए प्रतिकारित नहीं किया गया है। पीडित ने अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस व अभियोजन के साथ सहयोग करने का वचन दिया है। (पीडित का शपथपत्र एवं दस्तावेज संलग्न है)

उपरोक्तानुसार आवश्यक तथ्य प्रमाणित कर अपराध में घायल पीडित व्यक्ति को त्वरित अन्तरिम राहत दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर थानाधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट

राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत अपराध में घायल पीडित व्यक्ति को अंतरिम प्रतिकर दिलाने हेतु थानाधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप :–

प्रेषक :–
थानाधिकारी,
पुलिस थाना
.....

या

न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय .....

प्रेषिति
श्रीमान अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
.....

विषय :– धारा 357 (ए) (6) दण्ड प्रकिया सहिता एवं अनुच्छेद 5 (7) राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 के अन्तर्गत अंतरिम प्रतिकर हेतु प्रमाण पत्र

महोदय,

निवेदन है कि प्रस्तुत शपथपत्र एवं दस्तावेजों से व अन्यथा प्रमाणित किया जाता है कि पुलिस थाना ..... के अभियोग (एफ.आई.आर) स0 ..... में श्री/श्रीमति ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... जाति ..... निवासी ..... को चोटे पहुंची हैं। घायल होने की वजह से उसकी पारिवारिक आय को क्षति पहुंची है। इलाज में खर्चा हुआ है। उसकी पारिवारिक स्थिति एव कुल हालात में उसे चिकित्सा सुविधा/त्वरित आर्थिक मदद दिया जाना उचित है। पीडित को केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन हानि या क्षति के लिए प्रतिकारित नही किया गया है। पीडित ने अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस व अभियोजन के साथ सहयोग करने का वचन दिया है। (पीडित का शपथपत्र एवं दस्तावेज संलग्न हैं)

उपरोक्तानुसार आवश्यक तथ्य प्रमाणित कर अपराध में घायल पीडित व्यक्ति को त्वरित अन्तरिम राहत दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर थानाधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट

राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत अपराध में जीवन हानि होने से मृतक व्यक्ति के आश्रित को अंतरिम प्रतिकर दिलाने हेतु थानाधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप :–

प्रेषक :–
थानाधिकारी,
पुलिस थाना
.....

या

न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय .....

प्रेषिति
श्रीमान अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
.....

विषय :– धारा 357 (ए) (6) दण्ड प्रकिया संहिता एवं अनुच्छेद 5 (7) राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 के अन्तर्गत अंतरिम प्रतिकर हेतु प्रमाण पत्र

महोदय,

निवेदन है कि प्रस्तुत शपथपत्र एवं दस्तावेजो से व अन्यथा प्रमाणित किया जाता है कि पुलिस थाना ..... के अभियोग (एफ.आई.आर) स0 ..... में श्री/श्रीमति ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... जाति ..... निवासी ..... की मृत्यु हुई है। मृत्यु हो जाने की वजह से उसके आश्रितों की पारिवारिक आय को क्षति पहुंची है। मृतक के अश्रितो श्री / श्रीमति .....

की पारिवारिक स्थिति एवं कुल हालात में उसे त्वरित आर्थिक मदद दिया जाना उचित है। मृतक व्यक्ति के आश्रितों को केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन हानि या क्षति के लिए प्रतिकारित नही किया गया है। मृतक के आश्रितो ने अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस व अभियोजन के साथ सहयोग करने का वचन दिया है। (मृतक के आश्रित/आश्रितों के शपथपत्र एवं दस्तावेज संलग्न हैं)

उपरोक्तानुसार आवश्यक तथ्य प्रमाणित कर मृतक व्यक्ति के आश्रित कों त्वरित अन्तरिम राहत दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर थानाधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट

राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत अंतरिम प्रतिकर हेतु अपराध में सम्पत्ति को हुई क्षति के संबंध में पीडित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

श्रीमान,
थानाधिकारी,
.....

या

श्रीमान
न्यायिक मजिस्ट्रेट
.....

विषय :–राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत अंतरिम राहत हेतु वांछित प्रमाण पत्र जारी करने के कम में।

महोदय,

निवेदन है कि द0प्र0सं0 की धारा 357 –क (6) एवं राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम –2011 के अनुच्छेद 5 (7) के अन्तर्गत आपके पुलिस थाने की एफ0आई0आर0 संख्या ..... अन्तर्गत धारा ..... (न्यायालय में चालान पेश हो जाने की दशा में मुकदमा संख्या .....सन.....उनवान.....बनाम.....) में निम्नांकित पीडित व्यक्ति को अंतरिम प्रतिकर दिलाने के कम में वांछित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है:–

1- प्रार्थी पीडित व्यक्ति का नाम ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी .....उम्र.....जाति.....निवासी.....
2. अपराध से प्रार्थी पीडित व्यक्ति की सम्पत्ति को हुई क्षति का विवरण एवं क्षति का मूल्यांकन .....
3- प्रार्थी पीडित व्यक्ति का व्यवसाय .....
मासिक आय ..... (आय का सबूत संलग्न करें व आय का दस्तावेजी सबूत नहीं होने पर निर्धारित न्यूनतम वेतन दर के अनुसार मासिक आय अंकित करें)।
4. प्रार्थी पीडित को केन्द्र / राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन हानि या क्षति के लिए प्रतिकारित नहीं किया गया है।
5. प्रार्थी पीडित व्यक्ति द्वारा उठायी गयी हानि या क्षति ने कुटुम्ब की आय को हानि पहुँचाई है।
6. प्रार्थी पीडित व्यक्ति अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस व अभियोजन के साथ सहयोग करेगा। (शपथपत्र संलग्न है)

उपरोक्तानुसार अंतरिम प्रतिकर हेतु आवेदन पत्र श्रीमान जी की सेवामें पेश कर निवेदन है कि वांछित प्रमाण पत्र जारी कर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भिजवाने की कृपा करें।

नोट:– न्यायालय में चालान पेश हो जाने के बाद विचारण पूर्ण होने पर या अभियुक्त का पता नही चलने के कारण विचारण नही होने की दशा में उपरोक्त विवरण अंकित करते हुए आवश्यक संशोधन के साथ संबंधित विचारण न्यायालय / विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करें।

प्रार्थी

पीडित का नाम व हस्ताक्षर

राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत अपराध में जीवन हानि होने से मृतक व्यक्ति के आश्रित द्वारा अंतरिम प्रतिकर हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप :–

सेवा मे,

श्रीमान,
थानाधिकारी,
.....

या

श्रीमान
न्यायिक मजिस्ट्रेट
.....

विषय :–राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत अंतरिम राहत हेतु वांछित प्रमाण पत्र जारी करने के कम में।

महोदय,

निवेदन है कि द0प्र0सं0 की धारा 357 –क (6) एव राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम –2011 के अनुच्छेद 5 (7) के अन्तर्गत आपके पुलिस थाने की एफ0आई0आर0 संख्या ..... अन्तर्गत धारा ..... (न्यायालय में चालान पेश हो जाने की दशा में मुकदमा संख्या .....सन.....उनवान.....बनाम.....) प्रार्थी के निम्नांकित परिजन .....की मृत्यु के कारण उसके आश्रित के रूप में अन्तरिम प्रतिकर दिलाने के कम में वांछित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है:

1. मृत व्यक्ति का नाम .....:..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... उम्र ..... जाति ..... निवासी .....
2. मृत व्यक्ति के ईलाज का विवरण व भर्ती रहने की अवधि, इलाज का खर्चा (यदि कोई हो) :–
   I अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि - .....
   II ओपरेशन की संख्या - .....
   III इलाज के लिए बिस्तर पर रहने की अवधि –.....
   IV इलाज पर हुआ खर्च :–.....(इलाज की पर्ची डिस्चार्ज टिकिट एवं बिलों की पर्चियॉ संलग्न करे)
3. मृत व्यक्ति का व्यवसाय :– .....
   मासिक आय ..... (आय का सबूत संलग्न करें व आय का दस्तावेजी सबूत नहीं होने पर निर्धारित न्यूनतम वेतन दर के अनुसार मासिक आय अंकित करें)।
4. मृतक के आश्रितो को केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य सस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन हानि या क्षति के लिए प्रतिकारित नही किया गया है।
5. मृतक या उसके आश्रितो द्वारा उठायी गयी हानि या क्षति ने कुटुम्ब की आय को हानि पहुँचाई है।
6. मृतक के आश्रित अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस व अभियोजन के साथ सहयोग करने का वचन देतें हैं। (शपथपत्र संलग्न है)

उपरोक्तानुसार अंतरिम प्रतिकर हेतु आवेदन पत्र श्रीमान जी की सेवा मे पेश कर निवेदन है कि वांछित प्रमाण पत्र जारी कर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भिजवाने की कृपा करें।

नोटः– न्यायालय में चालान पेश हो जाने के बाद विचारण पूर्ण होने पर या अभियुक्त का पता नही चलने के कारण विचारण नही होने की दशा में उपरोक्त विवरण अंकित करते हुए आवश्यक संशोधन के साथ संबंधित विचारण न्यायालय/विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करें।

प्रार्थी

मृतक व्यक्ति के आश्रित का नाम
व हस्ताक्षर

राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत अंतरिम प्रतिकर हेतु अपराध में घायल पीडित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप :–

सेवा मे,

श्रीमान,
थानाधिकारी,
पुलिस थाना .....

या

श्रीमान
न्यायिक मजिस्ट्रेट
.....

विषय :–राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत अंतरिम राहत हेतु वांछित प्रमाण पत्र जारी करने के कम में।

महोदय,

निवेदन है कि द0प्र0सं0 की धारा 357 –क (6) एवं राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम –2011 के अनुच्छेद 5 (7) के अन्तर्गत आपके पुलिस थाने की एफ0आई0आर0 संख्या ..... अन्तर्गत धारा ..... (न्यायालय में चालान पेश हो जाने की दशा में मुकदमा संख्या .....सन.....उनवान..... .....बनाम.....) में निम्नांकित पीडित व्यक्ति को अन्तरिम प्रतिकर दिलाने के कम में वांछित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है:

1. प्रार्थी पीडित व्यक्ति का नाम ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी ..... उम्र ..... जाति ..... निवासी .....
2. अपराध से प्रार्थी पीडित व्यक्ति को पहुँची चोटों का विवरण ..... (चोट प्रतिवेदन संलग्न है)
3. ईलाज का विवरण - .....
   I अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि - .....
   II ऑपरेशन की संख्या – .....
   III इलाज के लिए बिस्तर पर रहने की अवधि - .....
   IV इलाज पर हुआ खर्च :–.....(इलाज की पर्ची,डिस्चार्ज टिकिट एवं बिलों की पर्चियां संलग्न करें)
4. प्रार्थी पीडित व्यक्ति का व्यवसाय :–. .....
   मासिक आय ..... (आय का सबूत संलग्न करें व आय का दस्तावेजी सबूत नहीं होने पर निर्धारित न्यूनतम वेतन दर के अनुसार मासिक आय अंकित करें) :
5. घायल होने की वजह से पूर्व भाँति कार्य नहीं कर पाने की अवधि .....
6. प्रार्थी पीडित को केन्द्र / राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन हानि या क्षति के लिए प्रतिकारित नहीं किया गया है।
7. प्रार्थी पीडित या उसके आश्रितों द्वारा उठायी गयी हानि या क्षति ने कुटुम्ब की आय को हानि पहुँचाई है।
8. प्रार्थी पीडित अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस व अभियोजन के साथ सहयोग करने का वचन देता है। (पीडित का शपथपत्र संलग्न हैं)

उपरोक्तानुसार प्रार्थी / प्रार्थिया के द्वारा आवेदन पत्र श्रीमान की सेवामे पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अंतरिम प्रतिकर हेतु वांछित प्रमाण पत्र जारी कर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भिजवाने की कृपा करें।

नोटः– न्यायालय में चालान पेश हो जाने के बाद विचारण पूर्ण होने पर या अभियुक्त का पता नही चलने के कारण विचारण नही होने की दशा में उपरोक्त विवरण अंकित करते हुए आवश्यक संशोधन के साथ संबंधित विचारण न्यायालय / विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करें।

प्रार्थी
(पीडित का नाम व हस्ताक्षर)

पीडित/मृतक के
आश्रित द्वारा स्व प्रमाणित शपथपत्र

शपथकर्ता .....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

आयु.....साल जाति.....निवासी.....थाना.....

तहसील.....जिला..... शपथपूर्वक निम्न कथन करता/करती हूँ :–

1. यह कि प्रार्थी/प्रार्थिया शपथ पूर्वक कथन करता/करती है कि अंतरिम प्रतिकर हेतु किये गये संलग्न आवेदन में दर्ज विवरण पूरी तरह सही है।
2. यह कि प्रार्थी/प्रार्थिया को केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के तहत उपरोक्त हानि या क्षति के लिये प्रतिकारित नहीं किया गया है।
3. यह कि प्रार्थी/प्रार्थिया अन्वेषण एवं विचारण के दौरान पुलिस व अभियोजन के साथ सहयोग करेगा अन्यथा उसे दी जाने वाली प्रतिकर राशि उससे या उसकी सम्पत्ति से वसूल की जा सकेगी।
4. यह कि प्रार्थी शपथपूर्वक कथन करती/करता है कि शपथपत्र का पैरा संख्या 1 से 4 प्रार्थी/प्रार्थिया के निजी ज्ञान व विश्वास में सही है।

शपथकर्ता

आज दिनांक .....को .....पर सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता

(उपरोक्त शपथपत्र स्वयं पीडित से सत्यापित कराया जाना है किसी अन्य अधिकारी से प्रमाणित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।)

प्रेषक :-

.....

नाम रिटेनर / पैनल अधिवक्ता / पैरालीगल वोलेन्टीयर
मोबाईल नम्बर .....

प्रेषिति

.....

(पीडित या उसके आश्रित का नाम व पता)

विषय :- एफ.आई.आर. नम्बर ..... थाना ..... या मुकदमा नम्बर ..... सन ..... न्यायालय ..... में
पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाने बाबत।

महोदय,

राजस्थान राज्य पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 में आपराधिक मामलो में मृत्यु हो जाने पर / घायल हो जाने पर / सम्पति की क्षति होने पर पीडित या उसके आश्रितों को उस स्थिति में प्रतिकर दिलाने का प्रावधान है जहां अपराध के कारण उनकी पारिवारिक आय को क्षति कारित हुई हो, आर्थिक सहायता के बिना उनका गुजारा करना कठिन हो गया है या आय से अधिक चिकित्सा आदि पर खर्चा हो गया हो।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप विषयान्तर्गत प्रकरण में प्रतिकर प्राप्त करने के पात्र एवं इच्छुक हैं तो संलग्न प्रपत्र में अनुसंधान के दौरान पुलिस थाना पर और चलान पेश हो जाने के बाद विचारण न्यायालय में आवेदन करें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

यदि कोई कठिनाइं हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता से या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय से सम्पर्क करे।

भवदीय

पैरालीगल वोलेन्टीयर /
रिटेनर अधिवक्ता /
पैनल अधिवक्ता